न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 01/2024 **दायर दिनांकः 09/01/2024**

उनवान

1. हेमराज नागर आयु 45 वर्ष पुत्र मदनलाल जाति धाकड़ निवासी फत्तूखेड़ी तहसील अटरू जिला बारां (राज) मो.न.—9928279717

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—
प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री भीमराज नागर
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय **दिनाकः 16.01.2025**

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी के शामलाती कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी ग्राम एवं माल फत्तूखेड़ी तहसील अटरू में खाता संख्या 108 के खसरा न. 183 का रकबा 0.60 है. कुल किता 1 का रकबा 0.60 है. आराजी में हिस्सा 3/4 दर्ज खाता चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2071—2074 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिले गौर है। प्रार्थी का नाम प्रार्थना पत्र की मद न. 1 में वर्णित आराजी में सहवन से हेमराज नागर के स्थान पर हंसराज अंकित हो गया है जो कि गलत है। प्रार्थी का सही नाम हेमराज नागर है जो कि उसके राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाइसेन्स आदि दस्तावेजो में भी हेमराज नागर नाम ही दर्ज है। उक्त समस्त दस्तावेज व सरपंच ग्राम पंचायत बरला पं.स. अटरू द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है । प्रार्थी राजस्व कर्मचारीगणों द्वारा की गई त्रुटि को दुरुस्त करवा कर अपना नाम हंसराज के स्थान पर हंसराज उर्फ हेमराज नागर दर्ज करवाने का अधिकार है। अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारीगणों के द्वारा किये गए गफलत एवं लापरवाही पूर्वक कार्य से प्रार्थी का नाम हंसराज कर देने से प्रार्थी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जमाबन्दी एवं अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.12 10:29:55 IST
Reason: SelfAttested

भिन्न भिन्न होने से बैंक से कृषि ऋण व अन्य कृषि योजनाओं का लाभ आदि प्राप्त नहीं कर पा रहा है द्य प्रार्थी ने अप्रार्थी से नाम दुरुस्त करने का निवेदन किया तो उन्होंने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने का निर्देश दिया। प्रार्थना पत्र पत्र की मद न. 1 में वर्णित भूमि में हो रही त्रुटि को प्रार्थी दुरुस्त करवा कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने के अधिकारी है, बिना सहायता न्यायालय राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त करवाया जाना संभव नहीं है, अस्तु माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है । राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार होने से उसे अप्रार्थी बनाया गया है। आराजी ग्राम/माल फत्तूखेड़ी तह. अटरु जिला बारां में होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। अन्य कारण बवक़्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगे ।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी आराजी ग्राम/माल फत्तूखेड़ी में खाता संख्या 108 के खसरा न. 183 का रकबा 0.60 है. कुल किता 1 का रकबा 0.60 है. आराजी में हिस्सा 3/4 में आराजी में प्रार्थी का नाम हंसराज के स्थान पर हंसराज उर्फ़ हेमराज नागर दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान किये जाने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2024/104 दिनांक 07.01.2025 को शामिल फाईल किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थी की मौखिक बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल फत्तूखेडी सम्वत 2071–74 खाता संख्या 108, आधार कार्ड, ग्राम पंचायत बरलां रिपोर्ट, जनाधार कार्ड, राशन कार्ड, माध्यमिक परीक्षा अंकतालिका, ड्राईविंग लाईसेंस, मतदाता पहचान पत्र व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन, निरीक्षण तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के ग्राम एवं माल फत्तूखेड़ी तहसील अटरू में खाता संख्या 108 के खसरा न. 183 का रकबा 0.60 है0 कुल किता 1 का रकबा 0.60 है0 आराजी में सहखातेदार हंसराज पुत्र मदनलाल के स्थान पर हंसराज उर्फ हेमराज पुत्र मदनलाल किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः रिकार्ड के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.12 10:29:55 IST
Reason: SelfAttested

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल फत्तूखेड़ी तहसील अटरू में खाता संख्या 108 के खसरा न. 183 का रकबा 0.60 है0 कुल किता 1 का रकबा 0.60 है0 आराजी में सहखातेदार हंसराज पुत्र मदनलाल के स्थान पर हंसराज उर्फ हेमराज पुत्र मदनलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

यह निर्णय आज दिनांक 16.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.12 10:29:55 IST
Reason: SelfAttested